



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124725

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

दांडिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 10195 वर्ष 2026

प्रशांत कुमार तेवतिया

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : कपिल कुमार, सुंदर सिंह

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुंदर सिंह और राज्य के विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता श्री राधे श्याम को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. वर्तमान जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक को विचारण के लंबित रहने के दौरान अपराध संख्या 75 वर्ष 2025, बीएनएस की धारा 318(4) और आईटी अधिनियम की धारा 66डी, पुलिस थाना साइबर क्राइम, जिला बुलंदशहर में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है जबकि उसके विरुद्ध कोई भी दोषारोपण करने वाली सामग्री नहीं है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक के खाते का उपयोग शून्य खाते के रूप में किया गया है और अभिकथित राशि को उक्त शून्य खाते में जमा किए जाने की बात कही गई है और तत्पश्चात,

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इसे किसी अन्य खाते में अंतरित कर दिया गया है। आगे यह निवेदन किया गया है कि इस मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई दांडिक इतिहास नहीं है और आवेदक 13.12.2025 से जेल में निरुद्ध है, यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर राजकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और उनके द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अभिकथित साइबर धोखाधड़ी में 44,86,000/- रुपये अंतर्गस्त हैं और पूरी राशि आवेदक के बैंक खाते में जमा किए जाने की बात कही गई है।
5. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, प्रथम सूचनाकर्ता के साथ 44,86,000/- रुपये की कोई साइबर धोखाधड़ी किए जाने की बात कही गई है और आवेदक के बैंक खाते का उपयोग म्यूल खाते के रूप में किए जाने की बात कही गई है और संपूर्ण राशि उक्त खाते में जमा किए जाने की बात कही गई है और तत्पश्चात, उसे किसी अन्य खाते में अंतरित कर दिया गया है। इस मामले में आरोप पत्र पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आगे यह निवेदन किया गया है कि आवेदक का कोई दांडिक इतिहास नहीं है और आवेदक 13.12.2025 से जेल में निरुद्ध है।
6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के निवेदनों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष दांडिक मामलों के भारी लंबन को ध्यान में रखते हुए, साथ ही 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किए गए कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए, साथ ही जमानत प्रदान करने के संबंध में 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किए गए माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुणागुण पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।
7. तदनुसार, वर्तमान प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. पूर्वोक्त अपराध में अंतर्ग्रस्त आवेदक- प्रशांत कुमार तेवतिया को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 1,00,000/- रुपये का एक वैयक्तिक बंधपत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-
- (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/अन्वेषण में निष्ठापूर्वक सहयोग करेगा।
 - (iii) आवेदक जमानत पर रिहा होने के पश्चात किसी भी दांडिक गतिविधि या किसी अपराध के किए जाने में संलिप्त नहीं होगा।
 - (iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।
9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूओं के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन किया जाना चाहिए।
11. आगे यह निदेश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निदेश दिया जाता है कि वह (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए दिनांक 31.01.2023 को निर्णीत जमानत प्रदान करने के लिए नीतिगत रणनीति, इन रे: स्वप्रेरणा रिट याचिका (दांडिक) संख्या 4 वर्ष 2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से जेल अधीक्षक, बुलंदशहर के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जून 2, 2026

आरकेएम

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।